

ए.12018/27/2015-एम.एच.2/एन.सी.डी.-1

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी-1


निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 12 अक्टूबर, 2021

जन-सूचना

02nd अक्टूबर 2021

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टैकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी-1.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।



(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 011-2306 2666

अधिसूचना

सा.का.नि. . . .-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता: वह व्यक्ति-**
 - जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लामू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले ः यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले ः यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रोफेसर (प्रोस्पेक्टिक एवं ऑर्थोटिक)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले ४ व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होना।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में सहायक प्रोफेसर(प्रोस्पेक्टिक एवं ऑर्थोटिक) या प्रोस्पेक्टिक अभियंता में से जिन्होंने उस स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;</p> <p>या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस स्तर में दस वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>और</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोस्पेक्टिक या ऑर्थोटिक में स्नातकोत्तर की डिग्री।</p> <p>(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>(1) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष;</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य;</p> <p>(3) उप महानिदेशक(संबंधित) -सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक, एआईआईपीएमआर, मुम्बई - सदस्य</p>	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

		<p>निकाय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या विनियामक परिषद से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से पुनर्वासि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के बाद बारह वर्ष अध्यापन का अनुभव।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	
--	--	--	--

(ए.12018/27/2015-एमएच II)

अवर सचिव, भारत सरकार